

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग  
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक: एफ 5(13) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2019/ 4571-80 जयपुर, दिनांक 21/6/19

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),  
बाडमेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, हनुमानगढ़,  
पाली, चूरु एवं नागौर।

विषय:- खरीफ सम्वत् 2075 में सूखाग्रस्त जिलों में लघु एवं सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य पशुपालकों एवं भूमिहीन किसानों के पशुओं हेतु पशु शिविर संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.1(4)आ.प्र.एवं सहा./सामान्य/2018/18874-94 दिनांक 19.11.2018 से राज्य के 9 जिलों के 5555 ग्रामों को गम्भीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त (Severe and Moderate category drought affected) घोषित किया गया है। उक्त अधिसूचना दिनांक 17.5.19 तक प्रभावी थी। किन्तु सूखे की गम्भीर स्थिति को देखते हुए अधिसूचना क्रमांक 1960-80 दिनांक 27.2.19 द्वारा अभाव अवधि दिनांक 15.7.19 तक बढ़ाये जाने के फलस्वरूप उक्त अधिसूचना दिनांक 15.7.19 तक प्रभावी रहेगी।

अभावग्रस्त घोषित गांवों में अभाव अवधि के दौरान गोपालन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये बजट प्रावधान के अनुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य कृषकों तथा भूमिहीन पशुपालकों द्वारा अभाव अवधि के दौरान छोड़े गये गौवंश के संरक्षण हेतु जिला कलेक्टर के प्रमाणीकरण/औचित्य (verification/justification) के आधार पर अनुमोदित प्रस्तावानुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य कृषकों एवं भूमिहीन पशुपालकों द्वारा अभाव अवधि के दौरान छोड़े गये गौवंश के संरक्षण हेतु पशु शिविर स्वीकृत किये जाने हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत किया जाता है।

इस सम्बन्ध में निम्न दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे:-

1. परीक्षणोपरान्त जिला कलेक्टर स्वयं की संतुष्टि के आधार पर किसी ग्राम में कम से कम 100 गाय होने पर पशु शिविर संचालित किए जाएंगे।
2. जिला कलेक्टर विभागीय दिशा-निर्देश जारी होने की दिनांक से पशु शिविर संचालन हेतु प्रस्ताव तहसीलदार के माध्यम से प्राप्त करें।
3. जिले के अभावग्रस्त ग्रामों से सम्बन्धित तहसीलों में आवश्यकतानुसार गौवंश संरक्षण हेतु पशुशिविर संचालन हेतु ही स्वीकृति जारी की जावे। इन पशु शिविरों के संचालन हेतु स्थानों का निर्धारण उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा आवश्यकतानुसार किया जावे।

4. पशुशिविर संचालित करने वाली संस्था द्वारा राहत सहायता हेतु ऑनलाइन आवेदन किये जावेंगे। ऑफलाइन प्राप्त प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। इस प्रक्रिया के तहत पशुशिविर संचालकों द्वारा राहत सहायता हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 'www.sso.rajasthan.in' पर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् विभागीय एप्लीकेशन 'dmis' पर ऑनलाईन आवेदन किया जावेगा। पशुशिविरों हेतु आवेदन करते समय पंजीयन प्रमाणपत्र एवं शपथपत्र (प्रारूप संलग्न) पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना आवश्यक है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त आवेदन को सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा दो दिवस के अन्दर गायों का प्रमाणीकरण एवं आवेदन-पत्र की जांच कर अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव जिला कलेक्टर को एवं जिला कलेक्टर द्वारा आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को ऑनलाइन ही अग्रेषित किये जावेंगे। तत्पश्चात् विभाग द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी।
5. जिला कलेक्टर तहसीलदारों से प्राप्त प्रस्तावों को प्रस्ताव प्राप्ति दिनांक से दो दिवस के भीतर सम्बन्धित पशु शिविर संचालकों को दिशा-निर्देश जारी किए जाने की दिनांक से अभाव अवधि तक के लिए तहसीलदार द्वारा प्रमाणित गायों की संख्या के अनुसार राहत सहायता की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे। विभाग स्तर से प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जावेगी।
6. पशु शिविर को राहत सहायता किसी भी परिस्थिति में तहसीलदार के प्रथम निरीक्षण से देय नहीं होगी। जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति की दिनांक से ही राहत सहायता का भुगतान किया जावेगा।
7. अभाव अवधि के दौरान लघु एवं सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य कृषकों एवं भूमिहीन पशुपालकों द्वारा अभाव अवधि के दौरान छोड़ी गयी गायों को पशुशिविर में रखे जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-
  - (i) पशु शिविर में गायों को रखे जाने की समुचित व्यवस्था यथा बाड़ा, छाया, चारा संग्रहण स्थल, पानी इत्यादि आवश्यक रूप से हो।
  - (ii) पशुशिविर में दाखिल किये गये गायों का रजिस्टर में इन्द्राज किया जावेगा।
  - (iii) उक्त पशु शिविरों में रखे जाने वाले गौवंश हेतु राहत सहायता राशि राज्य सरकार के गोपालन विभाग द्वारा "गौवंश संरक्षण निधि" से उपलब्ध कराये गये बजट प्रावधान के आधार पर किया जावेगा।
  - (iv) पशु शिविरों में संधारित किये जा रहे गायों को पशु शिविर संचालित करने वाली संस्था को 1 किलो पशु आहार बड़ी गाय को तथा 1/2 किलो पशु-आहार छोटी गाय को प्रति पशु प्रतिदिन की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। यदि निर्धारित मात्रा में पशुओं को पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो आर.सी.डी.एफ. /राजफैंड की प्रचलित बाजार दर से पशु आहार की राशि बड़े पशु तथा छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष राशि ही राहत सहायता स्वरूप स्वीकृत की जावे।

- (v) पशु आहार राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/राजफैड से क्रय किये जाने की स्थिति में ही अनुदान राशि देय होगी।
- (vi) पशु शिविरों में जितने गौवंश की स्वीकृति जारी की जावे, उन गायों के पेटे दिनांक 15.7.2019 तक की अवधि के लिए पशु आहार हेतु जितनी राशि की आवश्यकता है, उतनी राशि जिला कलेक्टर के द्वारा ऑनलाईन बजट की मांग पर दे दी जावेगी। यह राशि उनके द्वारा आरसीडीएफ/राजफेड को अग्रिम दी जावेगी। उक्त राशि की आधार पर आरसीडीएफ/राजफेड के द्वारा पशुआहार सम्बन्धित पशु शिविर में उपलब्ध कराया जावेगा। तत्पश्चात् उन पशुशिविरों को एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार बिल प्राप्त होने पर पशु आहार की राशि की कटौती की जाकर जिला कलेक्टर द्वारा शेष राशि पशु शिविर संचालक को दे दी जावेगी।
- (vii) पशु शिविरों के माध्यम से संधारित किये जा रहे गौवंश का शिविर स्थल पर जाकर, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों का उल्लेख शिविर संचालक द्वारा शिविर स्थल पर रखे गये रजिस्ट्रों में आवश्यक इन्द्राज सुनिश्चित किया जाकर हस्ताक्षर किये जाए।
- (viii) पशु शिविरों में रखे जाने वाले गौवंश के प्रमाणीकरण के संदर्भ में स्थानीय रूप से पटवारी/ग्राम सेवक/नजदीकी स्कूल के अध्यापक को शामिल करते हुए एक कमेटी का गठन कर कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही पशु शिविरों में गौवंश को रखा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक पशु शिविर में न्यूनतम गौवंश सीमा 100 हो तथा 200 से अधिक होने पर जिला कलेक्टर से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जावे।
8. ऐसे पशु शिविरों के बारे में जिला कलेक्टर के स्तर पर एक रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें निम्न सूचना अंकित की जाए:-
- (i) पशु शिविर चलाने वाली संस्था का नाम
  - (ii) पशु शिविर चलाने हेतु आवेदन पत्र का दिनांक
  - (iii) स्थान का नाम जहाँ शिविर चलाया जाएगा।
  - (iv) पशुओं की संख्या जो शिविर में रखने हेतु प्रस्तावित हो
  - (v) शिविर के लिए पशु शाला हेतु उपलब्ध स्थान
  - (vi) शिविर पर पशुओं के लिए उपलब्ध सुविधायें
  - (vii) चारा कितनी मात्रा में प्रति पशु प्रति दिन दिया जाएगा तथा अन्य सुविधायें क्या दी जाएगी।
  - (viii) जिला कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत करने का दिनांक
  - (ix) दिनांक जिससे पशु शिविर चालू किया गया
  - (x) संस्था की संचालन समिति के सदस्यों के नाम

- (xi) बैंक खाता नं. एवं आईएफएससी कोड जिसमें संस्था अपना खाता रखती हो
- (xii) संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव का नाम
- (xiii) संस्था की सामान्य वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

9. पशु शिविर चलाने वाली संचालक समिति में जिला कलेक्टर द्वारा एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे एवं यह निर्देशित किया जाए कि स्थानीय संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना उस प्रतिनिधि को प्रदान की जावे ताकि बैठक में जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो सके।
10. **लाभान्वित होने वाली गौवंश** की सूची ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील, उपखण्ड एवं जिला स्तर पर नोटिस बोर्ड पर लगाई जावेगी। साथ ही सामाजिक अंकेक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु उक्त सूची जिले की वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी।
11. ऐसे समस्त शिविरों का लेखा जोखा सही एवं भली प्रकार से संधारित कराया जाए, जिसमें निम्न रजिस्ट्रों का संधारण कराया जाए :-
  - क. पशु चारा/पशु आहार खरीद एवं स्टॉक रजिस्टर
  - ख. गौवंश के पंजीकरण का रजिस्टर
  - ग. चारा तथा पशु आहार दैनिक वितरण रजिस्टर
  - घ. दैनिक आमद व खर्च का रोकड़ बही
1. ऐसे शिविरों का तथा उनके लेखों का आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, गोपालन विभाग एवं जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि या मनोनीत अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा।
2. जिला कलेक्टर अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर प्रत्येक पशु शिविर का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि इन शिविरों में निर्धारित मापदण्ड से गौवंश का पोषण किया जा रहा है तथा संस्था द्वारा संधारित अभिलेखों में अंकित संख्या के अनुसार गौवंश वास्तव में शिविर में रखे गये हैं। इस प्रकार किये गये निरीक्षण की एक प्रति निरीक्षण दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सहायता विभाग एवं सम्बन्धित संस्था को भेज दी जाए।
3. पशु शिविर चलाने वाली संस्था द्वारा जिला कलेक्टर को प्रत्येक चरण का हिसाब प्रस्तुत किया जाये। जिला कलेक्टर की स्वयं की स्वीकृति के उपरान्त देय अनुदान राशि का भुगतान बिल प्राप्त के 7 दिन में सीधे ही उनके बैंक खातों में DBT द्वारा किया जाये।
4. इन निर्देशों के तहत स्वीकृत पशुशिविरों का भुगतान राज्य सरकार के **गोपालन विभाग द्वारा "गौवंश संरक्षण निधि"** से उपलब्ध करवाये गये बजट प्रावधान के आधार पर किया जावेगा।
5. यदि पशु शिविर चलाने वाली संस्था/अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है, तो जांच के निस्तारण उपरान्त ही स्वीकृति जारी की जावे।

- 6 यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत पशु शिविरों में गौवंश में वृद्धि के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर के स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान गौवंश की संख्या, पानी की व्यवस्था, चारा खिलाने की व्यवस्था, संधारित रजिस्ट्रों व अन्य सुविधाएँ जो विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार सही पाये जाने के उपरांत गौवंश बढ़ोतरी के प्रस्तावों की अनुशंषा जिला कलेक्टरों को करें तथा जिला कलेक्टर द्वारा स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत ही स्वीकृति जारी की जावे।
- 7 स्वीकृत पशु शिविरों का आ.प्र.एवं सहा.विभाग/गोपालन विभाग/जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित संस्था/संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी। प्रत्येक पशु शिविर की उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा प्रभावी मोनिटरिंग एवं **वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी** अनिवार्यतः की जावे। निरीक्षणों की रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारी द्वारा विभागीय एप्लीकेशन "DMIS" पर ऑनलाईन अपलोड की जावेगी।

  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज., जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राज., जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
11. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
12. निजी सचिव, जिला प्रभारी सचिव, बाडमेर एवं जैसलमेर।
13. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
14. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
15. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।

  
संयुक्त शासन सचिव

**शपथ पत्र/बन्ध पत्र का (Affidavit/Bond) प्रारूप**

मैं ..... पुत्र/पुत्री ..... उम्र.....

निवासी ..... तहसील ..... जिला का निवासी हूँ। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि

8. मेरी संस्था का नाम ..... एवं संस्था का पंजीयन संख्या .....

...

यह है।

9. मेरे पशुशिविर के संचालन का स्थान ..... तहसील का नाम .....  
जिले का नाम ..... यह है।

10. मेरे पशुशिविर में वर्तमान में अभाव अवधि के दौरान लघु एवं सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य कृषकों एवं भूमिहीन पशुपालकों के द्वारा छोड़े गये.....बड़े ..... छोटे कुल ..... पशु संधारित है।

11. मुझे ज्ञात है कि जिला कलेक्टर/राज्य स्तर से मेरे पशु शिविर का आकस्मिक निरीक्षण वीडियोग्राफी करवाई जा सकेगी।

12. मैं भलीभांति परिचित हूँ कि आकस्मिक निरीक्षण/वीडियोग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी/अनियमितता पायी जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

13. मैं पशु शिविर की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्णतः पालना करूंगा।

14. जिले द्वारा समय-समय पर दी गई सभी शर्तों का मैं पूर्णतः पालना करूंगा।

शपथग्रहिता

मैं..... पुत्र/पुत्री ..... उम्र.....

निवासी ..... शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उपर्युक्त संख्या 1 से 6 तक दिया गया विवरण सत्य है।

शपथग्रहिता